



आवश्यक सूचना

मा. जिला उपभोक्ता फोरम लखनऊ में परिवाद संख्या 788 / 2000 श्रीमती रामदुलारी रस्तोगी बनाम परिषद में पारित निर्णय के अनुपालन में परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ हरदोई रोड लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या एच-5 / 286 सेमीफिनिशड 18 / 40 वर्ग मीटर का भवन श्रीमती रामदुलारी रस्तोगी पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी निवासी-सी 2516 राजाजीपुरम लखनऊ को आवंटित किया गया था। प्रदेशन पत्र संख्या 710 दिनांक 21.02.2009 निर्गत है। आवंटी द्वारा औपचारिकताओं / किशतों का भुगतान न किये जाने के कारण आवंटी को समय-समय पर कार्यालय पत्र संख्या 1840 दिनांक 20.04.2009, 2595 दिनांक 19.08.2009, 1893 दिनांक 11.09.2009 एवं पत्र संख्या 60 दिनांक 06.01.2020 को नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा निर्गत किये गये। परन्तु अभी तक आवंटी द्वारा उक्त भवन के विरुद्ध वांछित देय धनराशि एवं औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गयी है।

अतः इस नोटिस के द्वारा अन्तिम रुप से एतद्वारा सूचित किया जाता है। कि श्रीमती रामदुलारी रस्तोगी पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी द्वारा उक्त भवन के विरुद्ध वांछित देय धनराशि एवं औपचारिकताएं दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण न करने पर नियमानुसार कटौती कर उक्त आवंटित भवन को निरस्त करते हुये आगामी आवंटन / नीलामी में सम्मिलित कर दिया जायेगा। इसका समस्त उत्तरदायित्व आवंटी का होगा। भविष्य में इस सम्बन्ध में आवंटी का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

आवास आयुक्त